



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1610]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 23, 2019/ज्येष्ठ 2, 1941

No. 1610]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 23, 2019/JYAISTHA 2, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2019

का. आ.1802(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनों हेतु, तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण 'तमिलनाडु भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण' जोकि भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "प्राधिकरण की श्रेणी" के रूप में सरकार द्वारा गठित की गई है, को अधिसूचित करती है और दिनांक 30 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या 553(अ) को निम्नानुसार संशोधित करती है:-

अधिसूचना की अनुसूची में नीचे पंक्ति (3) में निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा।

क्रम संख्या	भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण का नाम	पैन
	(2)	(3)
4	तमिलनाडु भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण	AAAGT0438E

[अधिसूचना सं. 43/2019/फा. सं.300196/72/2018-आईटीए-I]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना को दिनांक 30 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 553(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।